फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द।

– प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

श्री नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री ज्ञान सिंह रावत, निवासी प्लाट नं. 99 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास, जिला राजसमन्द (राज.)

–ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 08/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.03.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द ने दिनांकः 07.03.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री ज्ञान सिंह रावत, निवासी प्लाट नं. 99 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास, जिला राजसमन्द (राज.) को 3,80,000/–रूपये (तीन लाख अस्सी हजार रूपये) का ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– अचल सम्पत्ति :– भूमि एव भवन जो श्री ज्ञान सिंह रावत, प्लाट नं. 99 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास, जिला राजसमन्द (राज.) के नाम से है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होनें पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानसार दिनांक 28.12.2017 को अनर्जक परिसमपत्ति (NPA) कै रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 09.05.2018 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन में ऋण राशि रूपये 3,87,305/– (तीन लाख सत्यासी हजार तीन सौ पांच रूपये) दिनांक 07.05.2018 तक ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की गई। उक्त ऋणी को एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 07.09.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के	

तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 09.05.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत कर उसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी श्री नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री ज्ञान सिंह रावत, निवासी प्लाट नं. 99 ग्राम चेता आसन, कामली घाट चौराहा के पास, जिला राजसमन्द में स्थित निजी जमीन है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा दिवेर, तहसील भीम, जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)